

न्यायालय अति-संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/7)

1. अमरसिंह पुत्र तारुराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (मृतक)
- | | |
|--|---|
| 1/1. रागी देवी पत्नी स्व. अमरसिंह | जाति जाट निवासीगण
कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। |
| 1/2. विनोद कुमार पुत्र स्व. अमरसिंह | |
| 1/3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. अमरसिंह | |
| 1/4. रामनिवास पुत्र स्व. अमरसिंह | |

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरोज पत्नी श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासिनी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थित:

1. श्री अजय कुमार ओझा - अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय कुमार पारीक - अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली - राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 18.01.2024

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 (डी) के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 37/2021 के निर्णय दिनांक 11.01.2022 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 सरोज ने तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत निवेदन किया कि प्रार्थीया के ससुर तारुराम के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2007 के अनुसार प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमावे। जिस पर तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.01.2022 द्वारा सरोज का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पटवारी हल्का नाईवाला को आदेशित किया कि वसीयतकर्ता स्व.तारुराम पुत्र हरीराम द्वारा सरोज पत्नी रामस्वरूप के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2007 के अनुसार चक नं. 9 सीडीआर खाता सं. 6/7 में तारुराम पुत्र हरीराम के हक



हिस्सा की आरारी की सरोज पत्नी रामस्वरूप के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय दिनांक 11.01.2022 के विरुद्ध अपीलान्त अमर सिंह ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 37/2021, में पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 को मय हर्जा-खर्चा निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि वसीयतकर्ता की पुश्तैनी संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि भूमि चक 9सी.डी.आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ पं. नं. 230/249, 230/250 में संयुक्त व अविभाजित वर्णित कृषि भूमि स्व. तारूराम पुत्र हरीराम जाति जाट के नाम खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि में स्व. तारूराम के हिस्से के बाबत एक तथाकथित वसीयत दिनांक 23.08.2007 को सरोज पत्नी रामस्वरूप के पक्ष में नोटेरी पब्लिक के द्वारा तस्दीकशुदा होना जाहिर कर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु रेस्पाडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया। तथाकथित वसीयत फर्जी, बनावटी व कूटरचित होने से प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी थी, उक्त वसीयत दिनांक 23.08.2007 को निष्पादित होनी जाहिर की गई है, तथा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 30.11.2021 को प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है जो तकरीबन 14 वर्ष पूर्व होनी दर्शित होती है जो अपने आप में संदेह की स्थिति प्रकट करती है। स्व.तारूराम के द्वारा अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की कोई वसीयत पंजिबद्ध व निष्पादित नहीं करवाई है ना ही उनकी इस प्रकार की कोई इच्छा रही है। तथाकथित वसीयत में उपयोग व उपभोग मे लिया गया स्टाप्प भी स्व. तारूराम के द्वारा या उनके अधिवक्ता के द्वारा क्रय किया हुआ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का से जैर अपील कृषि भूमि के संबध में मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाही गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021

में स्पष्टतः समावेश किया गया है कि " भूमि स्वअर्जित है या पैतृक इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है" जिससे स्पष्ट जहिर होता है कि जैर अपील आदेश कृषि भूमि का खाता अपवादित है। उक्त खाते के काश्तकारों के हिस्से का कुल योग व खाते का कुल योग बराबर नहीं है। स्व.तारूराम की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं है, अपितु पैतृक कृषि भूमि है। वसीयत कर्ता के द्वारा स्वअर्जित भूमि की वसीयत की जा सकती है पैतृक भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। तथाकथित वसीयत दिनांक 23.08.2007 के गवाह सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाट निवासी हनुमानगढ टाउन व पृथ्वीराज पुत्र जयनारायण जाट निवासी चोटाला को बतौर गवाहान अंकित किया गया है जो कि हमारे परिवार के सदस्य नहीं है ना ही हमारे गांव के है। तथाकथित वसीयत दिनांक 23.08.2007 के बाबत रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी क तहत प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे भी दिनांक 11.01.2022 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 23.08.2007 को सिविल न्यायालय ए.डी. जे. नं. 2 हनुमानगढ के समक्ष चैलेज किया गया है जो विचाराधीन है। इन्तकाल फिस्कल प्रोसिडिंग होती है उसमें रेस्पोजेन्ट सं. 1 का कोई राईट टाईटल व इन्ट्रेस्ट हासिल नहीं होता है। वसीयत की वैधानिकता तय होने तक अदालत मातहत को इन्तकाल की कार्यवाही को अर्बेस में रखना चाहिए था जो न करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील दिनांक 11.01.2022 विधि विरुद्ध पारित किया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। स्व. तारूराम जी के वारिसान ग्रामीण परिवेश से है तथा कम पढे लिखे व्यक्ति है इसके अलावा न तो उनके यहा समाचार पत्र आता है ओर ना ही अपीलान्ट व अन्य वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है ना ही कार्यवाही बाबत कोई सूचना दी गई है। जैर अपील आदेश दिनांक 11.01.2022 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में पारित डिक्री दिनांक 21.01.1992 के विरुद्ध अपीलान्ट के एक अपील अन्तर्गत धारा -223 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1956 अमरसिंह बनाम रुकमा देवी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है जिसकी रेस्पोंडेंट सं. 1 को भली भांति जानकारी है। उक्त अपील के विचाराधीन होने के बावजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोंडेंट सं. 1 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। जैर अपील कृषि भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में सिविल, राजस्व, फौजदारी प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 कंटेस्टेड होने के कारण उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 75 (डी) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण सं. 37/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 मय हर्जा-खर्चा निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2016 (1) पृष्ठ 727, एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 70-75 पृष्ठ 38 व 39, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोंडेंट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोंडेंट सरोज ने तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बाबत निवेदन किया कि प्रार्थीया के ससुर तारुराम के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 23.08.2007 के अनुसार प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर आम सूचना नोटिस का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के आदेश जारी किया गया। रेस्पोंडेंट द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त भूमि का अलग-अलग बटवारा किया जा चुका है। वसीयत कर्ता की स्वःअर्जित भूमि थी, अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया अपना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त वसीयत बाबत अपीलान्त ने सिविल न्यायालय में चलेन्ज कर दिया है, वसीयत के बारे में सिविल न्यायालय तैय करेगे, वसीयत आज तक निरस्त नहीं हुई है।

अपीलान्ट ने कथन किया कि वसीयत में गवाह अमरसिंह का हस्ताक्षर है। इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही में अधिकार तैय नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार टिब्बी का निर्णय दिनांक 11.01.2022 अन्तर्गत सैक्शन 135 (1) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पारित किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश नहीं की जा सकती है। उक्त अपील जिला कलेक्टर के समक्ष लाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण कन्टेस्टेड नहीं था, अपीलान्ट ने अपील में माना है कि बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। उक्त अपील इस न्यायालय में चल नहीं सकती है, ना ही किसी स्तर पर सुनवाई हो सकती है। अपीलान्ट को अपील वापिस लौटाई जावे अथवा खारिज की जावे। उक्त भूमि बाबत पूर्व में दिनांक 21.01.1992 को संमक्ष न्यायालय सहायक कलेक्टर संगरिया की डिक्री व निर्णय हो चुका है। कन्सेन्ट डिक्री होने की वजह से सैक्शन 96 (3) सी पी सी के तहत अपील अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध पेश नहीं हो सकती है ना ही मेन्टेनेबल है, अपील निरस्त की जावे। अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत नहीं दी सकती है, क्योंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट को राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश करनी थी। अपीलान्ट राजस्व मण्डल अजमेर गये नहीं इस प्रकार अपीलान्ट को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी के साथ अपील पेश नहीं कर सकता है। अपीलान्ट का धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही अपील में वर्णित भूमि बाबत राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश रेकार्ड व मौका की यथास्थिति रखने का हो चुका है। प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन होने एवं जैरकार होने से भी अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे। रैस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1997 पृष्ठ 127, RRD 2002 पृष्ठ 409, RRD 1989 पृष्ठ 266, RRD 2008 पृष्ठ 225, RRD 2009 पृष्ठ 637, RRD 2002 पृष्ठ 280, RRD 1997 पृष्ठ 238, RRD 2000 पृष्ठ 556,

RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2010 पृष्ठ 556, , RRD 2006 पृष्ठ 190, RRD 2008 पृष्ठ 217 ,एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 पृष्ठ 306, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 96 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।
7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / विश्लेषण किया। प्रकरण में अपीलान्त की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्त स्व. तारूराम जी के जायज वारिसान पुत्र होने से जैर अपील कृषि भूमि मे हित निहित है। अपीलान्त हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।
8. प्रस्तुत अपील तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 37/2021 के निर्णय दिनांक 11.01.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है जिसमे रेस्पोंडेंट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। अपील मे मुख्य विवाद वसीयत का है। वसीयकर्ता तारूराम पुत्र हरीराम के 5 पुत्र पृथ्वीराज, रविन्द्रकुमार, कृष्ण, अमरसिंह, रामस्वरूप व 2 पुत्रियो कौशल्या व विमला होना प्रतिवेदित किया गया है। जबकि तारूराम द्वारा केवल अपनी पुत्रवधु सरोज पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति जाट के पक्ष में वसीयत कराया जाना वसीयत में प्रतिवेदित किया है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसृगिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए हितबद्ध लोगो की सुनवाई हेतु दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को खारिज कर दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे हितबद्ध लोगो की सुनवाई का अभाव पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे कही भी भूमि को पैतृक

भूमि नहीं होना, सिद्ध नहीं किया है, पैतृक भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं, तथा सभी वारिसान के विधि अनुसार हक-हकूक अर्जित होते हैं। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 विधिनूकूल नहीं पाया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11.01.2022 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण का स्थापित विधि व नैसृगिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर